स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत

स्वच्छ गोरखपुर, स्वस्थ गोरखपुर

नगर निगम गोरखपुर

Website:- gorakhpurnagarnigam.up.gov.in Helpline:- 0551-2342621, 9236478095

सम्पत्ति कर की गणना स्वयं करें तथा भुगतान करते हुए नियमानुसार छूट का लाभ प्राप्त करें।

यदि आपको अपने सम्पत्ति कर के वर्तमान बिल या जी0आई0एस0 से आपत्ति है तो आप निम्नानुसार अपने सम्पत्ति कर की गणना स्वयं कर सकते हैं, और विभागीय परीक्षणोपरान्त भुगतान करते हुए छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं :–

(A) आवासीय सम्पत्ति का वार्षिक मूल्यः–

1. (कुल तलों का कुल कवर्ड एरिया) का 80% x न्यूनतम प्रतिवर्ग फुट मासिक किराया दर*x 12 = (A)

देय सम्पत्ति कर प्रतिवर्ष :– गृहकर = (A) का 12.00%

जलकर = (A) का 12.00%

ड्रेनेजकर = (A) का 3.00%

(A) का 27.00%

(B) अनावासीय सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य :–

वार्षिक मूल्य = सम्पत्ति का कुल कवर्ड एरिया x न्यूनतम प्रतिवर्ग फुट मासिक किराया दर x सम्पत्ति के उपयोग के आधार पर गुणांक** : x 12 (B)

देय सम्पत्ति कर प्रतिवर्ष :– गृहकर = (B) का 12.00%

जलकर = (B) का 12.00%

ड्रेनेजकर = (B) का 3.00%

(B) का 27.00%

1. यदि सम्पत्ति स्वंय विकसित है तो 10 वर्ष, 10 से 20 वर्ष और 20 वर्ष से अधिक पुरानी सम्पत्ति के लिए निर्धारित वार्षिक मूल्य (A) में क्रमशः 25%, 32.5% व 40% तक की छूट के पश्चात निर्धारित वार्षिक मूल्य पर गृहकर, जलकर व ड्रैनेजकर की गणना कर सकते है।
2. यदि सम्पत्ति में किरायेदारी है तो 10 वर्ष, 10 से 20 वर्ष के अवधि की पुरानी सम्पत्ति के लिए निर्धारित वार्षिक मूल्य में क्रमशः 25%, व 12.5% की वृद्धि के पश्चात जो वार्षिक मूल्य होगा उस पर गृहकर, जलकर व ड्रैनेजकर की गणना की जायेगी। 20 वर्ष से ऊपर की सम्पत्ति के वार्षिक मूल्यांकन यथावत रहेगा।

महत्वपूर्ण :– अनावासीय सम्पत्तियों के सम्पत्ति कर की गणना में निर्माण वर्ष और किरायेदारी आदि के सम्बन्ध में कोई छूट नही है। इस प्रकार की छूट केवल आवासीय सम्पत्ति के लिए है।

यदि सम्पत्ति का मिश्रित उपयोग है तो उपरोक्तानुसार आवासीय और अनावासीय भाग की वा0 मू0 की गणना को जोड़कर वार्षिक मूल्य निर्धारित किया जायेगा।

"आपके सम्पत्ति कर से आपके नगर का विकास होता है।"

नोट– किसी भी अन्य जानकारी हेतु नगर निगम की अधिकृत वेबसाइट एवं पब्लिक ग्रीवान्स नंबर :– 0551–2342621 अथवा 9236478095 पर किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11 बजे से सांय 5 बजे के मध्य सम्पर्क कर सकते है।

*दिनांक 01.10.2011 से प्रभावी दरें लागू होंगी। दरों की सूची नगर निगम की अधिकृत वेबसाइट **gorakhpurnagarnigam.up.gov.in** एवं जोनल कार्यालय, नगर निगम कार्यालय एवं नगर निगम के वसूलीकर्ता के पास उपलब्ध है।

गुणांक की सूची नगर निगम की अधिकृत वेबसाइट **gorakhpurnagarnigam.up.gov.in पर भी उपलब्ध है और निगम मुख्य कर निर्धारण कार्यालय और जोनल कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते है।

– : गोरखपुर नगर निगम द्वारा जनहित में जारी :–

अनावासीय सम्पत्ति की स्थिती में रिक्त भूमि का सम्पत्ति कर निर्धारण भी किया जायेगा और निर्मित भाग के साथ देय होगा।